देवघर समाहरणालय

(जिला भू अर्जन शाखा)

समाहर्त्ता या समुचित सरकार

–ःप्रारंभिक अधिसूचनाः–

(अधिनियम–30 / 2013 की धारा–11(1) के अधीन)

अधिसूचना संख्या 140/भू अ० दिनांक : 31/8/2021

चूँकि झारखण्ड सरकार / समाहर्त्ता को यह प्रतीत होता है कि **ग्राम–कटघरी, थाना–देवघर, थाना सं०–102, अंचलः–देवीपुर, जिला–देवघर** में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना **चांदडीह–तिलौना पथ भाया सिमरा, खसपेका, पिछड़ीबाद, मथुरापुर, हुसैनाबाद, कथारी पथ का पुनर्निर्माण** हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्त्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि **ग्राम–कटघरी, थाना–देवघर, थाना सं०–102, अंचल–देवीपुर, जिला–देवघर** में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश **0.16 एकड़** मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है :–

क. स.	खाता सं.	सर्वे भूखंड सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0) उ0	द0	पू0	प0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	10	रैयती	बाड़ी–2	0.03	महेन्द्र वर्मा वो विरेन्द्र वर्मा पे० स्व० नुनदेव महतो वो प्रशुराम महतो पे० स्व० हरी महतो वो बालदेव वर्मा पे० स्व० कैला महतो सा० देह।	राउत डीह, थाना संख्य	मंझला डीह, –93	अर्जित दाग का अंश	मंझलाडीह, थाना संख्या–93
2	16	7	रैयती	बाड़ी–2	0.09	राज कुमार महतो वो रधुनाथ वर्मा वो बालेश्वर वर्मा पे० स्व० मसुदन महतो वो नकुल वर्मा वो फोदी वर्मा वो प्रसादी वर्मा ब्रहमू वर्मा पे० स्व०दासो महतो वो छेदन वर्मा वो विष्णु वर्मा पे० स्व० जागो महतो वो कारू महतो वो झवन महतो पे० स्व०काली महतो वो अमृत वर्मा वो लखी वर्मा वो धनेश्वर वर्मा पे० स्व० भरत महतो सा० देह				
3	19	9	रैयती	बाड़ी–2	0.04	हनीफ मियां वो खुदुश मियां वो मनी मियां वो हदीश मियां पे० स्व० गुलाब मियां वो अजीरन बीबी पति स्व० कादीर मियां वो मो० समसुल अंसारी पे० स्व० दुखी मियां वो सोराव अंसारी वो अकतर अंसारी वो अली मो० पे० स्व० रूस्तम मियां वो जयरूण बीबी पति स्व० गफुर मियां सा० देह।				
				कुल रकवा–	**0.16**					

यह अधिसूचना भू–अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम–2013 (अधिनियम संख्या 30 / 2013), की धारा–11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार / समाहर्त्ता–सह–समुचित

सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्ट करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू–वेधन–छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्त्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधीत इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू–अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियॉ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

जिला भू–अर्जन पदाधिकारी
देवघर
18.8.21

अपर समाहर्त्ता
देवघर

समाहर्त्ता–सह–उपायुक्त,
देवघर।

ज्ञापांक 1401 / भू अ०, देवघर, दिनांक 31/8/2021

प्रतिलिपि : संबंधित भू धारियों को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, देवीपुर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित साथ ही अखबार में प्रकाशित अधिसूचना की प्रति जिला भू अर्जन कार्यालय, देवघर में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।
प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला समान्य शाखा, देवघर को सूचनार्थ एवं जिला गजट के आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

जिला भू–अर्जन पदाधिकारी
देवघर
18.8.21

अपर समाहर्त्ता
देवघर

समाहर्त्ता–सह–उपायुक्त,
देवघर।